

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झाँसी ।

पत्रांक-

/द0छा0 / 2025-26 / एस0सी0-3

दिनांक: 12-09-2025

सूचना

उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 03 द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली संख्या -115 / 2025 / 1370 / 26-03-2025 -1741061 लखनऊ दिनांक 10 जून 2025 के अनुपालन में छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है जिसके अनुसार छात्र/छात्राओं की उपस्थिति शैक्षिक सत्र के दौरान 75 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

अतः सभी छात्र-छात्रायें जो छात्रवृत्ति हेतु अपना आवेदन कर रहे हैं, नियमित रूप से अपनी कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराये।

शैक्षणिक सत्र के दौरान उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाये जाने पर ऐसे सभी छात्र/छात्रायें दशमोत्तर छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 हेतु अनर्ह हो जायेंगे व इस स्थिति में दशमोत्तर छात्रवृत्ति न पाने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व स्वयं सम्बन्धित छात्र का ही होगा।

प्रधानाचार्य

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झाँसी।

पत्रांक-3983 /द0छा0 / 2025-26 / एस0सी0 3 तदिनांक

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो-

1-विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी / फिजियोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / पैथोलॉजी / रेडियोलॉजी / फार्माकोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / फॉरेन्सिक मेडिसिन / कम्युनिटी मेडिसिन / ई0एन0टी0 / नेत्र / गायनाकोलॉजी / सर्जरी / आर्थोपेडिक्स / एनेस्थीसिया / डेन्टल / मेडिसिन / पीडियाट्रिक्स / टी0बी0 एवं चेस्ट / स्किन वी0डी0 विभाग।

2- डीन एकेडेमिक, मेडिकल कॉलेज झाँसी।

3- अधीक्षक / सहायक अधीक्षक, समस्त यू0जी0 छात्रावास मेडिकल कॉलेज झाँसी।

4-प्रभारी अधिकारी वेबसाइट।

5- नोटिस बोर्ड

प्रधानाचार्य

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झाँसी।